

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 27(2)मं.मं./2009

जयपुर, दिनांक: 27.01.2021


परिपत्र

राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1)(XXXVI) के अंतर्गत जारी इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.01.2015, 26.02.2015 एवं 12.10.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

“राज्य सरकार के स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की संस्थाओं में अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति से संबंधित मामलों का निस्तारण मंत्री स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर ही किया जावेगा।”


कृपया उक्त निर्देश की पालना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(दिनेश कुमार यादव)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मा0 मंत्रिगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

  
(दिनेश कुमार यादव)  
शासन सचिव